12

506

पिछला | अगला

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2009—आषाढ़ 19, शक 1931

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2009

क्र. एफ 1-18-06-बावन-1.—मध्यप्रदेश अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 29(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियम, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

विनियम की धारा 7(1) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अधिवार्षिकीय आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष स्थापित की जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. ए. खान, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2009

क्र. एफ 30-8-2000-दस-3.—यत: मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984 में संशोधन का प्ररूप जो मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन् 1984) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की सूचना क्रमांक एफ-30-8-2000-दस 3, दिनांक 5 फरवरी, 2009 में "मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4(ग)" के पृष्ठ 121 पर उन समस्त व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, के लिए पूर्व प्रकाशित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर आपत्तियां और सुझाव आंत्रित किये गये थे;

और यत:, उक्त प्रारूप पर किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्तियां या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"8 प्राधिकारी जिसे अपील की जाएगी-अधिनियम की धारा 11 के अधीन अपील संबंधित क्षेत्रीय वन वृत्त के वन भारसाधक अधिकारी को की जाएगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2009

क्र. एफ-30-8-2000-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-8-2000-दस-3, दिनांक 30 जून 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 30th June 2009

No. F-30-8-2000-X-3.—Whereas a draft of amendment in the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman)Rules, 1984 was previously published as required by sub-section (1) of Section 22 of the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984) with the Notice of the Government of Madhya Pradesh in the Forest Department No. F-30-8-2000-X-3 dated the 5th February 2009 at page 121 of the "Madhya Pradesh Gazette Part 4(C)" dated the 13th February, 2009 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within fifteen days from the date of publication of the Notice in the Madhya Pradesh Gazette;

And whereas no objection or suggestion have been received from any person on the said draft..

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the said Act, the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Rules, 1984, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely :—

"8. **Authority to whom appeal shall be made.**—The appeal under Section 11 of the Act shall lie to the Officer-in-charge of the concerned Forest Circle.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2009

फा. क्र. 6-2-2008-इक्कीस-ब(दो).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 29 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, अधिकारी तथा सेवक सेवा (भरती तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7	लेखापाल	4000-100-6000	2	तृतीय श्रेणी

(2) अनुसूची-चार में, अनुक्रमांक 3 और 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं; अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 4000-100-6000	सहायक ग्रेड-एक 4500-125-7000	5 वर्ष	अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर गठित समिति के सदस्य.	
4.	सहायक ग्रेड-तीन (3050-75-3950-80-4590)	लेखापाल/सहायक ग्रेड-दो 4000-100-6000	5 वर्ष		लेखापाल के पद पर पदोन्नति के लिए लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा.".

F.No. 6-4-2008-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with clause (d) of sub-section (2) of Section 29 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya

Pradesh Madhyastham Adhikaran Officers and Servants Services (Recruitment and Other Conditions of Service) Rules, 2002, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) in Schedule-1, for serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7.	Accountant	4000-100-6000	2	Class-III

(2) In Schedule-IV, for serial number 3 and 4 and entries relating thereto,the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	Accountant/Assistant Grade-II (4000-100-6000).	Assistant Grade-I (4500-125-7000).	5 Years	Members of the Committee constituted by Chairman of the Tribunal, from time to time.	
4.	Assistant Grade-III (3050-75-3950-80-4590).	Accountant/ Assistant Grade-II (4000-100-6000).	5 years		It shall be essential to pass the Accounts training examination for promotion on the post of Accountant.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

कार्यालय, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 22 जून 2009

क्र. 245-10-परीक्षा-प.वा.प.-2009.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 331-107-2009-सात-4बी दिनांक 6 मार्च 2009 के अनुपालन में मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली में निम्नलिखित समाविष्ट किया जाता है :—

नियमावली के भाग एक में, अध्याय दो के नियम 16 अध्ययन पाठ्यक्रम के आगे निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाता है :—

16 अध्ययन पाठ्यक्रम

(5) कम्प्यूटर ज्ञान सैद्धांतिक एक प्रश्न पत्र 50 अंक

1. कम्प्यूटर का आधार भूत ज्ञान (पर्सनल कम्प्यूटर)
2. भू-अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण की सामान्य जानकारी
3. कम्प्यूटर में भू-अभिलेख की प्रविष्टियां फीड करना तथा भू-अभिलेख की नकल कम्प्यूटर से प्रदाय करने की कार्यवाही
4. कम्प्यूटर आपरेशन की जानकारी

(6) भू-अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण विवरण (व्यवहारिक) एक प्रश्न पत्र 50 अंक

कम्प्यूटर द्वारा खसरा एवं जमा बंदी तैयार करना, खसरा प्रविष्टियों में संशोधन करना एवं प्रिंट आउट निकालना.

विनोद कुमार, आयुक्त.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.